की छाया प्रति प्रदर्श पेश की। वकील प्रार्थी के द्वारा ओर साक्ष्य पेश नहीं करने के निवेदन पर साक्ष्य प्रार्थी बन्द की गई तथा पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

बहस वकील प्रार्थी की सुनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान किया तथा मौजा खाटूकलां के वर्तमान (2073–2076) खाता संख्या 66 की जमा बंदी की नकल जिसमें प्रार्थी का नाम बाबूदीन पुत्र अलादीन के स्थान पर बाबूखां पुत्र अलादीन दर्ज है, को शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किये जाने बाबत तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाने का निवेदन किया गया।

वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेज मौजा खाटूकलां के वर्तमान (2073–2076) खाता संख्या 66 कि जमा बंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादग्रस्त भूमि जो प्रार्थी की राहखातेदारी की भूमि है जिसमें प्रार्थी का नाम बाबूदीन पुत्र अलादीन के स्थान पर बाबूखां पुत्र अलादीन भूलवश दर्ज किया जाना प्रतीत होता है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र एल.आर.एक्ट की धारा 136 में कवर नहीं होता है, परन्तु प्रार्थना पत्र में चाही गई इस्तदुआ का निदान (Remedy) भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की सुसंगत धाराओं तथा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की सुंसगत धाराओं में नहीं है। प्रार्थी का वास्तविक नाम खातेदार के रूप में दर्ज नहीं होकर गलत नाम दर्ज हो चुका है जिसका समाधान नहीं होने के कारण प्रार्थी को भारी क्षति हो रही है एवं सरकारी योजनाओं का लाभ महज इसलिए नहीं मिल रहा है कि प्रार्थी का नाम अन्य सरकारी दस्तावेजात का नाम राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) में दर्ज नाम से समानता नहीं रखता है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा-209 में प्रदत्त शक्तियों के तहत स्वतः प्रसंज्ञान से प्रकरण हाजा को धारा 88, 136 का मानते हुये प्रार्थी का राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) मोजा खाटू कला के खाता संख्या 66 के खसरा नम्बर 949 रकबा 0.0728 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 950 रकबा 14.3501 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 956 रकबा 3.8332 हैक्टेयर में दुरूस्त/दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–: : आदेशः : –

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधीन धारा 136 आर.एल.आर. एक्ट आंशिक स्वीकार किया जाता है। **मोजा खाटू कला के खाता संख्या 66 के खसरा नम्बर 949 रकबा 0.0728 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 950 रकबा 14.3501 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 956 रकबा 3.8332 हैक्टेयर में दर्ज खातेदार काश्तकार का नाम बाबूखां पुत्र अलादीन हिस्सा 1/15 जाति मुसलमान सा. देह खातेदार के स्थान पर बाबूदीन पुत्र अल्लादीन हिस्सा 1/15 जाति मुसलमान सा. देह खातेदार** दुरूस्त किया जाता है। तहसीलदार जायल को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी का नाम माफिक आदेश राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे।

यह आदेश आज दिनांक ...20/08/24..... को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

(अभिलाषा)
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल (नागौर)

Scanned with CamScanner